दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

आरक्षित : 15 मई 2024

उदघोषित : 29 मई 2024

<u>सि.वा.(वा.) 764/2017 और अंतर.आ.12856/2017</u>

सारेगामा इंडिया लिमिटेड .....याचिकाकर्ता

द्वारा: अधिवक्तागण, श्री चंदर एम. लाल, श्री अंकुर संगल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सुचेता रॉय, श्री शाश्वत रक्षित और सुश्री अमृत शर्मा ।

बनाम

ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज़ लिमिटेड ..... प्रतिवादी

द्वारा: अधिवक्तागण, श्री हर्ष कौशिक, सुश्री पेटल चंढोक, सुश्री रूपाली गुप्ता, श्री हर्ष प्रकाश और सुश्री यशिता रस्तोगी ।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश दयाल

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. अनीश दयाल,</u>

अंतर. आ. 22658/2023 (*सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन*)

1. यह निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 [***'सि.प्र.सं.'***] के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन का निपटारा करता है, जिसमें प्रतिवादी द्वारा कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 60 के प्रावधान के संदर्भ में शिकायत को अस्वीकार करने की मांग की गई थी। [‘***अधिनियम*** ']।

2. वादी ने 1,20,000 से अधिक ध्वनि रिकॉर्डिंग में कॉपीराइट के मालिक होने का दावा करते हुए वाद दायर किया, जिसमें अंतर्निहित साहित्यिक और संगीत कृतियाँ शामिल हैं।

3. प्रतिवादी ने अनुज्ञप्ति समझौते को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया, लेकिन वादी के किये कार्यों का अवैध रूप से अपने लिए उपयोग जारी रखा, जिसके कारण वादी को इस न्यायालय के समक्ष निषेधाज्ञा वाद दायर करना पड़ा, जो कि ***सि.वा.(वा.) 57/2017*** है। प्रतिवादी को अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान के अधीन वादी के कार्यों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए।

4. इसके बाद, प्रतिवादी ने वादी और अन्य तीसरे पक्षों को लगभग 105 सिनेमेटोग्राफ फिल्मों के लिए 63 कानूनी नोटिस (*23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर*

2017 तक) जारी किए और दावा किया कि वे ध्वनि रिकॉर्डिंग के साथ-साथ साहित्यिक और संगीत कार्यों में कॉपीराइट के मालिक थे।

5. वादी ने 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2017 के बीच कानूनी नोटिसों का जवाब दिया।

6. इन धमकियों के संदर्भ में, वादी ने अधिनियम की धारा 60 के तहत प्रतिवादी की धमकियों के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग करते हुए यह वाद दायर किया, साथ ही यह घोषणा की कि वे प्रतिवादी के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं कर रहे थे और यह भी कि प्रतिवादी के पास उक्त कार्यों पर कोई अधिकार नहीं था, तथा इन धमकियों के परिणामस्वरूप हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी।

7. 03 नवंबर 2017 को प्रतिवादी के अधिवक्ता ने कहा कि सुनवाई की अगली तिथि तक वे इस संबंध में वादी को कोई और नोटिस/पत्र जारी नहीं करेंगे।

8. इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष वादी द्वारा एक अपील दायर की गई थी, और यह दर्ज किया गया था कि प्रतिवादी एकल न्यायाधीश के समक्ष "*अंतरिम राहत के विस्तार के संबंध में निर्णय की तिथि तक*, धमकी का आरोप लगाते हुए तीसरे पक्ष को कोई और नोटिस जारी नहीं करेगा।

9. प्रतिवादी ने 11 जनवरी 2018 को अपना लिखित बयान दायर किया; वादी ने 09 अप्रैल 2018 को अपनी प्रतिकृति दायर की थी। इसके बाद प्रतिवादी ने 16 अप्रैल 2018 को वादी के खिलाफ कॉपीराइट के उल्लंघन का वाद ***सि.वा.(वाणि.) 811/2018*** दायर किया।

10. इसके बाद, प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अधिनियम की धारा 60 के प्रावधान के तहत आपत्ति जताई, जिसमें एक बार प्रतिवादी द्वारा अपना वाद दायर करने के बाद, प्रतिवादी द्वारा कथित धमकियों के आधार पर वादी का वाद कायम नहीं रह सकता है और इसे निष्फल बनाया जाना चाहिए। हालाँकि, प्रतिवादी द्वारा औपचारिक वाद से वाद की अस्वीकृति की मांग करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। जब 17 अगस्त 2023 को वाद के समेकन के संबंध में मामला उठाया गया, तो प्रतिवादी द्वारा धारा 60 परंतुक आपत्ति को फिर से उठाया गया।

11. यह पाया गया कि वाद को खारिज करने पर विचार के लिए सि.प्र,सं. के आदेश VII नियम 11 या उस प्रभाव के किसी अन्य प्रावधान के तहत एक आवेदन दायर करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद, यह आवेदन दायर किया गया।

12. संदर्भ की सुगमता के लिए, अधिनियम की धारा 60 को निम्नानुसार देखा गया हैः

*"60. **निराधार कानूनी कार्यवाही की धमकी के मामले में उपाय**–जहां कोई व्यक्ति किसी कार्य में कॉपीराइट का मालिक होने का दावा करते हुए, परिपत्रों, विज्ञापनों या अन्यथा द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कॉपीराइट के कथित उल्लंघन के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही या दायित्व की धमकी देता है, वहां उससे व्यथित कोई व्यक्ति, [विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का 47) की धारा 34 में] किसी बात के होते हुए भी, यह घोषणात्मक वाद प्रस्थापित कर सकेगा कि जिस कथित उल्लंघन से धमकी संबंधित है, वह वास्तव में ऐसी धमकी देने वाले व्यक्ति के किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं था और ऐसे किसी वाद में वह-*

(क) ऐसे किसी धमकी के जारी रहने के खिलाफ निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। धमकियाँ; और

(ख) ऐसी क्षति की वसूली, यदि कोई हो, जो उसे ऐसी धमकियों के कारण हुई है:

बशर्ते कि यह धारा तब लागू नहीं होगी जब ऐसी धमकी देने वाला व्यक्ति,सम्यक उद्यम के साथ, अपने द्वारा दावा किए गए कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू करता है और वाद चलाता है।"

<u>प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

13. प्रतिवादी के अधिवक्ता, अपने आवेदन के समर्थन में, अनिवार्य रूप से धारा 60 की स्पष्ट भाषा पर निर्भर है जिसमें प्रावधान भी शामिल है, जिसमें कहा गया है कि एक बार जब उन्होंने सम्यक उद्यम के साथ अपनी कार्यवाही दायर कर दी, तो अधिनियम की धारा 60 के तहत वादी का वाद अस्तित्व में

नहीं रह सकता। उन्होंने तर्क दिया कि सबसे ***पहले*** , वादी ने अधिनियम की धारा 60 के तहत वाद दायर किया था और इसलिए, वह एक बड़े राहत की मांग कर, बचाव नहीं कर सकता; ***दूसरा,*** धारा 60 में ही यह परिकल्पित है कि कथित धमकी के अनुसरण में, निषेधाज्ञा और हर्जाने की राहत मांगने सहित एक घोषणात्मक वाद शुरू किया जा सकता है और इसलिए, वादी का यह तर्क कि एक बड़े राहत ने उनके वाद को निष्फल होने से रोक दिया, जो कि अवमाननीय था; ***तीसरा***, शिकायत के अवलोकन से पता चलेगा कि कार्रवाई का कारण प्रतिवादी द्वारा वादी और तीसरे पक्ष को भेजे गए कथित नोटिसों पर आधारित था, जिसमें उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, और इस आधार पर भी वादी का वाद स्पष्ट रूप से धारा 60 के तहत था न कि एक संयुक्त वाद; ***चौथा***, वादी ने अपने अधिकारों के संबंध में नहीं बल्कि यह घोषणा मांगी थी कि प्रतिवादी के पास कॉपीराइट नहीं है और इसका निर्णय प्रतिवादी द्वारा अधिनियम की धारा 55 के तहत दायर वाद में किया जाएगा न कि वर्तमान वाद में; ***पांचवां,*** वादी को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि वे अभी भी प्रतिवादी के वाद में हर्जाने के लिए जवाबी दावा दायर कर सकते हैं, और किसी भी स्थिति में, हर्जाने का मुद्दा तभी उठेगा जब प्रतिवादी के वाद में यह माना जाएगा कि प्रतिवादी के पास उक्त कार्यों पर कॉपीराइट नहीं है; ***छठा***, वादी द्वारा की गई हर्जाने की प्रार्थना बिना किसी सहायक दलील के थी और ***अंत में***, वादी का वाद नोटिस

जारी होने के 10 दिनों के भीतर शुरू किया गया था, जिसके अनुसार प्रतिवादी ने एक वचन दिया था और इसलिए, इन नोटिसों के कारण 10 दिनों के दौरान नुकसान नहीं उठाया जा सकता था।

14. प्रतिवादी के अधिवक्ता ने इस तथ्य पर जोर दिया कि यदि वादी का वाद जारी रहना है, तो अधिनियम की धारा 60 के प्रावधान को अनुचित बना दिया जाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य दो कार्यवाहियों को जारी नहीं रखना था जब कॉपीराइट उल्लंघन के मुद्दे को एक कार्यवाहियों में तय किया जा सकता था। यह प्रावधान उन स्थितियों से भी संबंधित है जहां वादी और प्रतिवादी द्वारा विभिन्न न्यायालयों में वाद दायर किए जा सकते हैं और समेकन आसानी से नहीं हो सकता है। इस वाद में यह प्रावधान किया गया था कि वादी का वाद जारी नहीं रहना चाहिए।

15. उनके इस तर्क का समर्थन करते हुए कि प्रतिवादी ने सम्यक उद्यम के साथ वाद दायर किया, यह कहा गया कि-सबसे ***पहले,*** कार्यवाही शुरू करने के वाद पक्ष द्वारा वाद गए समय के आधार पर सम्यक उद्यम निर्धारित नहीं किया जाता है, लेकिन यह कि कार्रवाई अच्छी भावना और सावधानी से शुरू की जाती है; ***दूसरा,*** अधिनियम की धारा 60 का परंतुक लागू होगा यदि प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद से पहले या बाद में कार्यवाही शुरू की जाती है; ***तीसरा,*** प्रतिवादी ने कुछ महीनों की अवधि के भीतर अपना वाद दायर करते समय उचित

परिश्रम किया था, क्योंकि उक्त कॉपीराइट के संबंध में सभी समझौतों को इकट्ठा करने में समय लगा था। और ***अंत में,*** वादी की यह दलील कि उचित तत्परता का मुद्दा एक परीक्षण योग्य मुद्दा है, असमर्थनीय है, क्योंकि इसमें लगने वाले समय के संबंध में कोई विवाद नहीं है, और यह एक '*तथ्यात्मक प्रश्न*' है और इसमें परीक्षण योग्य कुछ भी नहीं है।

16. प्रतिवादी ने अपने आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत किया कि न्यायालयों के पूर्व निर्णयों ने आवेदन दायर किए बिना वाद को खारिज कर दिया था। इसके बावजूद, यह आवेदन 17 अगस्त 2023 को न्यायालय द्वारा की गई एक टिप्पणी के अनुसार दायर किया गया था।

17. किसी भी स्थिति में, वाद के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया जाएगा क्योंकि यदि प्रतिवादी कार्यों में अपने अधिकारों को साबित करने में असमर्थ है, तो यह वादी की याचिका की पुष्टि के समान होगा और यदि नुकसान की मांग की जाती है, तो उनके द्वारा प्रतिवादी के वाद में जवाबी दावे के वाद में दावा किया जा सकता है।

18. प्रतिवादी द्वारा निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखा गया थाः

18.1 इस पहलू पर कि वर्तमान वाद समग्रता में एक वाद नहीं है, बल्कि अधिनियम की धारा 60 के तहत एक वाद है, और प्रतिवादी द्वारा कॉपीराइट

उल्लंघन के लिए वाद दायर करने पर, धारा 60 का वाद प्रावधान के लागू होने के कारण निष्फल हो जाएगा - ***सुपर कैसेट्स इंडिया लिमिटेड बनाम बाथला कैसेट्स इंडिया (पी) लिमिटेड*** 1993 (25) डीआरजे, पैरा 6***; म्यूजिक इंडिया लिमिटेड बनाम सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड,*** 1987 (7) पीटीसी 83 (बॉम्बे), पैरा 6; मान्या वेज्जू बनाम सपना भोग, बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा एओ 438/2023 में पारित दिनांक 13 दिसंबर 2023 का निर्णय, पैरा 6, 27, 30, 31, 51

18.2 ***मैक चार्ल्स बनाम इंडिया परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी,*** एसएलपी (सी) सं. 39994/2012 - ***सुपर कैसेट बनाम बाथला में निर्णय की पुष्टि पर*** (*पूर्वोक्त)*;

18.3 ***क्यू. डी. सीटामॉन डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पी. सुरेश,*** आवेदन संख्या 6025/2018 में सि.वा. सं.632/2017, पैरा 2 (च), 6 (ख), (ग), (घ), 8 (ख)-धारा 60 के वाद के निष्फल होने और अभिवादी द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन के लिए प्रतिवादी के बाद के वाद में संभवतः जवाबी वाद दायर करने के पहलू पर;

18.4 ***चांसरी पैविलियन बनाम इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड***, निर्णय दिनांक 27 सितंबर 2023 को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा नि.प्र.अ. 145/2015, पैरा 29,31 और ***मान्या वेज्जू*** (*पूर्वोक्त*) में उचित परिश्रम के पहलू पर पारित किया गया;

18.5 ***टेन इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट बनाम नोवेक्स कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड,*** 2023 एससीसी ऑनलाइन डेल 2800;

18.6 ***रजनी इंडस्ट्रीज बनाम भारतीय धूप कार्यालय और अन्य,*** 2001 एससीसी ऑनलाइन डेल 480

18.7 बाद की घटना के मद्देनजर, यदि मूल कार्यवाही निष्फल हो जाती है, तो न्याय के हित में आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए - ***शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम मचाडो ब्रदर्स और अन्य,*** (2004) 11 एससीसी 168, पैरा 25 - 31 और ***पशुपलेटी वेंकटेश्वरलु बनाम मोटर एंड जनरल ट्रेडर्स,*** (1975) 1 एससीसी 770, पैरा 4 और 5।

<u>वादी की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

19. वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चंदर एम. लाल ने इन दलीलों का इस आधार पर खंडन किया कि वे इस स्तर पर गैर-उपयुक्त नहीं हो सकते थे जब वाद शुरू होने वाला था, और प्रतिवादी को 2018 से सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के तहत अपना आवेदन दायर करने में पांच साल से अधिक का समय लगा था, जब उन्होंने वाद दायर किया था।

20. इसके अलावा, यह दावा किया गया कि अधिनियम की धारा 60 का प्रावधान केवल तभी प्रतिवादी की सहायता कर सकता है जब कार्यवाही 'उचित

परिश्रम' के साथ शुरू की गई हो। प्रतिवादी का वाद वादी के मुकदमे के छह महीने बाद दायर किया गया था; यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रावधान का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि प्रतिवादी वादी के मुकदमे के तुरंत बाद कार्यवाही करता, तो वादी का वाद निष्फल हो सकता था।

21. इसके अलावा, उन्होंने घोषणा के साथ-साथ हर्जाने का भी दावा किया था, और इसलिए, यह एक संयुक्त वाद था, और अधिनियम की धारा 60 में परिकल्पित सख्त राहत से परे था। यदि इस वाद की कार्यवाही, जो पहले से चल रही है, को समाप्त कर दिया जाता है और वादी प्रतिवादी के वाद में प्रति-दावेदार बन जाते हैं, और नए सिरे से याचिका दायर करते हैं, तो कोई उद्देश्य हल नहीं होगा।

22. किसी भी स्थिति में, धमकी भरे नोटिस *दुर्भावनापूर्ण* थे, क्योंकि अतीत में प्रतिवादी ने वादी के अधिकारों को स्वीकार किया था और अनुज्ञप्ति स्वीकार किए थे, लेकिन तीसरे पक्षों को कई कानूनी नोटिस वितरित किए, जिससे वादी की साख और प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचा।

23. प्रार्थना खंड के पैरा (ii) में वादी द्वारा मांगी गई घोषणा विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 34 के तहत एक प्रार्थना के समान थी और इसे अधिनियम की धारा 60 के प्रावधान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता था।

श्री लाल ने बताया कि प्रतिवादी ने भी अपने लिखित प्रस्तुतियों में इस बात पर सहमति जताई थी कि उक्त राहत अधिनियम की धारा 60 से परे थी, हालांकि प्रतिवादी के अधिवक्ता ने इसका खंडन किया था।

24. इस मामले में, वाद को आंशिक रूप से खारिज करना स्वीकार्य नहीं था। साथ ही, अधिनियम की धारा 60 के तहत वादी द्वारा वाद का शीर्षक मात्र से वाद के सार को निर्धारित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह एक समग्र वाद था। इस चरण में वादी के खिलाफ वाद न करने का मतलब यह भी हो सकता है कि प्रतिवादी को धमकी देने के लिए अब निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती और वह बेदाग निकल जाएगा, क्योंकि वादी के वाद दायर करने के 6 महीने बाद उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, साथ ही 5 साल बाद अस्वीकृति के लिए आवेदन भी दायर किया था।।

25. वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा कियाः

25.1 ***रेडियो टुडे बनाम आई. पी.आर.एस.,*** 2008 एस.सी.सी. ऑनलाइन कैल 969, विशेष वाद से पैरा 29 और 30, जिसमें कि यदि वाद एक सरल वाद नहीं है, तो यह बाद में वाद दायर करने पर निष्फल नहीं होता है;

25.2 ***गौरी शंकर गौर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,*** (1994) 1 एस.सी.सी 92, विशेष रूप से पैरा 11 में, अधिनियम के उन शब्दों को परंतुक में उपयोग किए गए वाक्यांश 'उचित परिश्रम' के संदर्भ में एक उचित अर्थ दिया जाना चाहिए।

25.3 ***मान्या वेज्जू*** (*पूर्वोक्त*), विशेष रूप से पैरा 10 में, उचित परिश्रम की आवश्यकता के पहलू को आवश्यक माना जा रहा है;

25.4 ***मेहता यूनानी फार्मेसी बनाम अमृतंजन,*** 2002 एस.सी.सी. ऑनलाइन मैड 846, विशेष रूप से पैरा 11, उचित परिश्रम की आवश्यकता पर; व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 120 के तहत कार्यवाही के संबंध में ढाई साल को उचित परिश्रम की कमी का प्रमाण माना गया था (जो अधिनियम की धारा 60 के समान है);

25.5 ***अरिजेस एल्यूमीनियम उद्योग बनाम सुधीर बत्रा,*** 1997 एस.सी.सी. ऑनलाइन डेल 125, व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 120 के संबंध में निर्णय, जिसमें पैरा 10 में कहा गया था कि यदि धमकियों के परिणामस्वरूप नुकसान होता है, तो वाद दायर करने वाला व्यक्ति भी नुकसान का दावा कर सकता है, और उचित परिश्रम पर ध्यान केंद्रित करना एक महत्वपूर्ण घटक है।

26. वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रतिवादी द्वारा जिन मामलों पर भरोसा किया गया था, उनमें अंतर रखने की मांग की है:

26.1 ***सुपर कैसेट बनाम बाथला*** (पूर्वो.) निषेधाज्ञा के दायरे के मुद्दे पर था जिसे अधिनियम की धारा 60 के तहत दिया जा सकता है, और न्यायालय ने माना कि धारा 60 के तहत एक व्यापक वाद दायर किया जा सकता है जिसमें एक स्थायी निषेधाज्ञा भी शामिल है। इसके बाद कोई वाद दायर नहीं किया गया था, और इस वाद के संबंध में टिप्पणियां केवल ***इतिरोक्ति*** हैं। इस निर्णय को ***मैक चार्ल्स*** (पूर्वो.) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था जहां प्रतिवादी का वाद 20 दिनों के भीतर दायर किया गया था;

26.2 ***म्यूजिक इंडिया बनाम सुपर कैसेट्स*** (पूर्वो.) जहां प्रतिवादी का वाद एक महीने के भीतर शुरू किया गया था और इसलिए उचित परिश्रम का मुद्दा नहीं उठा;

26.3 ***ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज बनाम सारेगामा इंडिया लिमिटेड,*** 2017 एससीसी ऑनलाइन डेल 7630, जहाँ इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने इस बात का आधार बनाया कि धारा 60 का वाद क्यों बनाए रखने योग्य है, यदि कानूनी कार्यवाही शुरू करने की धमकी जारी की गई है। इसमें अधिनियम की धारा 60 के तहत वाद के दो सप्ताह के भीतर उल्लंघन के वाद दायर किया गया था, तीसरे पक्ष को कोई नोटिस नहीं भेजा गया था, और हर्जाने की मांग करने के लिए वाद के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी;

26.4 ***नौवहन निगम बनाम मचाडो*** (पूर्वो.) कि कार्यवाही में यदि धारा 151 के तहत वाद दायर किया जाता है तो यह निष्फल हो जाएगा।

26.5 ***क्यू. डी. सीटामॉन डिज़ाइन्स*** (पूर्वो.) जहाँ प्रतिवादी का वाद दायर करने के एक महीने के भीतर दायर किया गया था और उचित परिश्रम के मुद्दे पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला था और तीसरे पक्ष को कोई नोटिस नहीं भेजा गया था।

26.6 ***चांसरी पवेलियन*** (पूर्वो.) जहां प्रतिवादी द्वारा ढाई महीने के भीतर उल्लंघन के वाद दायर किया गया था और उचित परिश्रम का सवाल ही नहीं उठा था। इसके अलावा, तीसरे पक्ष को भी कोई नोटिस नहीं भेजा गया था और धारा 60 के वाद में दलीलें पूरी नहीं थीं क्योंकि सम्मन देना प्राप्त होने के तुरंत बाद उल्लंघन के वाद दायर किया गया था।

26.7 ***मैक चार्ल्स*** (सुप्रा) जिसमें उल्लंघन का वाद धारा 60 के मुकदमे के 20 दिनों के भीतर दायर किया गया था और उचित परिश्रम का कोई सवाल ही नहीं उठा।

26.8 ***मैक चार्ल्स*** (*पूर्वोक्त*) जिसमें उल्लंघन का वाद धारा 60 के वाद के 20 दिनों के भीतर दायर किया गया था और उचित परिश्रम का कोई सवाल ही नहीं उठा।

<u>विश्लेषण</u>

27. रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया और संबंधित पक्षों के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क सुने। ऐसा करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि "क्या वादी द्वारा अधिनियम की धारा 60 के तहत दायर किया गया वाद, कानूनी कार्यवाही की निराधार धमकियों के संदर्भ में, तब तक कायम रह सकता है जब तक कि प्रतिवादी द्वारा कॉपीराइट अधिकारों के उल्लंघन का दावा करते हुए कोई बाद का वाद या कार्यवाही शुरू नहीं कर दी जाती"।

28. पक्षकारों द्वारा उद्धृत निर्णयों के अवलोकन से पता चलता है कि इस मुद्दे को अब इस न्यायालय, बॉम्बे, कर्नाटक और मद्रास के उच्च न्यायालयों सहित विभिन्न न्यायालयों द्वारा सुलझा लिया गया है और शीर्ष न्यायालय द्वारा भी देखा गया है।

29. कालानुक्रमिक क्रम में उक्त निर्णय निम्नानुसार हैं:

29.1 ***म्यूजिक इंडिया बनाम सुपर कैसेट*** (पूर्वोक्त)- बम्बई उच्च न्यायालय के एकल जज ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> *""धारा 60 के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कॉपीराइट के किसी कथित उल्लंघन की धमकी*

दी जाती है और यदि वास्तव में धमकी दिए गए व्यक्ति के कार्य उस व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं करते हैं, जो ऐसी धमकी देता है, तो वह एक घोषणात्मक वाद दायर कर सकता है और ऐसी धमकियों को जारी रखने के खिलाफ निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। वह ऐसी धमकियों के कारण जो हर्जाना उसे मिला हो, उसे भी प्राप्त कर सकता है। ये प्रावधान किसी व्यक्ति को कॉपीराइट के उल्लंघन से संबंधित किसी भी गलत धमकी से बचाने के लिए बनाए गए हैं और एकमात्र राहत जो मांगी जा सकती है, इस धारा का प्रावधान इस स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करता है क्योंकि यह ऐसा प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसने ऐसी धमकियां दी हैं, और यदि वह अपने द्वारा दावा किए गए कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए उचित तत्परता के साथ कार्रवाई शुरू करता है और वाद चलाता है तो यह धारा लागू नहीं होगी। दिल्ली जिला न्यायालय के समक्ष दायर वाद निस्संदेह कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 60 के अंतर्गत है। इसलिए प्रथम प्रतिवादी उल्लंघन की किसी भी गलत धमकी को जारी रखने के विरुद्ध केवल निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार था। एक बार जब कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए वाद दायर किया जाता है - जैसा कि वर्तमान मामले में दायर किया गया है तब - धमकी देने वाले व्यक्ति द्वारा धारा 60 के तहत वह वाद निरर्थक हो जाता है क्योंकि ऐसी स्थिति में धारा लागू नहीं होती है।"

(जोर दिया गया)

29.2 ***सुपर कैसेट बनाम बाथला*** (पूर्वोक्त)-इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय, जहां यह स्पष्ट वाद से अभिनिर्धारित किया गया था कि एक बार धमकी देने वाले व्यक्ति द्वारा उल्लंघन के लिए वाद दायर किया जाता है, तो धारा 60 के तहत वाद निष्फल हो जाता है। प्रासंगिक परिच्छेद निम्नानुसार निकाला गया हैः

> *"**6.** धारा 60 के प्रावधानों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को कॉपीराइट के किसी भी कथित उल्लंघन की धमकी दी जाती है और वास्तव में, धमकी दिए गए व्यक्तियों की कार्रवाई से ऐसी धमकी देने वाले व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होता है, तो वह एक घोषणात्मक वाद दायर कर सकता है और ऐसी धमकियों के जारी रहने के खिलाफ निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है, वह ऐसी धमकियों के कारण हुए नुकसान को भी प्राप्त कर सकता है। ये प्रावधान किसी व्यक्ति को कॉपीराइट के उल्लंघन से संबंधित किसी भी गलत धमकी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं और एकमात्र राहत जो मांगी जा सकती है, वह ऐसी धमकियों के जारी रहने और ऐसी धमकियों के कारण होने वाली क्षति के खिलाफ निषेधाज्ञा है। इस धारा का प्रावधान इस स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करता है क्योंकि यह प्रावधान करता है कि इस धारा का कोई आवेदन नहीं होगा यदि कोई व्यक्ति, जिसने ऐसी धमकी दी है, अपने द्वारा दावा किए गए कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए उचित परिश्रम के साथ कार्रवाई शुरू करता है और वाद चलाता है। <u>एक बार धमकी देने वाले व्यक्ति द्वारा कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए वाद</u>*

दायर किए जाने के बाद, धारा 60 के तहत वाद निष्फल हो जाता है क्योंकि ऐसी स्थिति में धारा लागू नहीं होती है। वर्तमान मामले में वादीगण ने धारा 60 के तहत विचारण न्यायालय में वाद दायर किया था, जैसा कि इस याचिका की प्रति से स्पष्ट है, जो यहां प्रस्तुत है, तथा उस वाद में उन्होंने यह घोषणा करने की मांग की है कि प्रतिवादी-मेसर्स सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड संगीत कृति, अर्थात् पाकिस्तानी कलाकारों द्वारा गाए गए पाकिस्तानी गीत का एकमात्र स्वामी नहीं है, तथा कथित सौपें गये कार्य का कानूनन कोई बल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कार्य अस्तित्व में नहीं है, तथा न ही पाकिस्तान फोनोग्राम कन्वेंशन पर हस्ताक्षरकर्ता है, इसलिए प्रतिवादी कंपनी अनन्य अधिकार का दावा नहीं कर सकती। आगे की निषेधाज्ञा इस आधार पर मांगी गई थी कि प्रतिवादी मौखिक धमकी के साथ-साथ चेतावनी नोटिस के माध्यम से जारी कर रहे थे जो वादी के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने के समान है। इसी वाद में आदेश पारित किया गया था। मान लीजिए कि अधिनियम की धारा 60 के तहत जो वाद तैयार किया गया है, उसकी परिकल्पना की गई है। माँगा गया आदेश मुख्य अभिवचनों से हटा दिया गया है जैसा कि वाद में ही निहित है। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि धारा 60 के साथ-साथ स्थायी निषेधाज्ञा के तहत एक व्यापक वाद हो सकता है। कानून के इस प्रस्ताव के साथ कोई झगड़ा नहीं है, और अकेले वाद को पढने से पता चलता है कि यह अधिनियम की धारा 60 के तहत एक वाद सरलीकरणकर्ता था। वाद में ऐसा कोई आधार नहीं रखा गया है जिसके द्वारा यह अनुमान लगाया जा सके कि यह स्थायी निषेधाज्ञा का वाद

भी एक वाद ही था। केवल यह कहना कि स्थायी निषेधाज्ञा दी जाए, पर्याप्त नहीं है। मुख्य अभिवचनों को निरस्त करने का स्थायी निषेधाज्ञा निरर्थक है। शिकायत पत्र को पढने के बाद कुल मिलाकर यह पता चलता है कि यह अधिनियम की धारा 60 के तहत एक वाद है। निवेदन मुख्य दलीलों के अनुरूप होनी चाहिए।यह संदेहपूर्ण है कि क्या इस तरह का निषेधाज्ञा उक्त अधिनियम की धारा 60 के प्रावधान के तहत दी जा सकती थी और प्रथमदृष्टया निषेधाज्ञा अधिकार क्षेत्र के बिना प्रतीत होती है।"

(जोर दिया गया)

29.3 ***मैक चार्ल्स*** (पूर्वोक्त)-विशेष इजाजत याचिका में आदेश पारित किया गया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ***सुपर कैसेट*** (पूर्वोक्त) निर्णय का उल्लेख किया और निम्नानुसार कहाः

"सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम बाथला कैसेट इंडिया (पी) लिमिटेड, ए. आई. आर. 1994 डेल 237 के मामले में निर्णय और आदेश ने उस प्रावधान को और स्पष्ट कर दिया है जो स्थिति को स्पष्ट करता है कि इस धारा का कोई आवेदन नहीं होगा यदि कोई व्यक्ति जिसने ऐसी धमकी दी है वह शुरू करता है और उसके द्वारा दावा किए गए कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए उचित परिश्रम के साथ वाद चलाता है। एक बार धमकी देने वाले व्यक्ति द्वारा कॉपीराइट के उल्लंघन का वाद दायर किए जाने के बाद, धारा 60 के तहत वाद निष्फल हो जाता है क्योंकि ऐसी स्थिति में धारा लागू होना बंद हो जाती है।"

(जोर दिया गया)

29.4 ***क्यू डी सीटमॉन*** (पूर्वोक्त) - जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पैरा 6(ग) में इस बात पर विचार किया कि क्या बाद का वाद निराधार धमकियों पर दायर किए गए प्रारंभिक वाद को निष्फल कर देगा। इसलिए न्यायालय ***सुपर कैसेट्स बनाम बाथला*** *(पूर्वोक्त) और* ***मैक चार्ल्स*** *(पूर्वोक्त)* सहित पिछले निर्णयों पर ध्यान देता है और निम्नानुसार वर्णित करता है:

> *"(ग) तथापि, विवादास्पद प्रश्न यह है कि जब ऐसी संस्था/व्यक्ति द्वारा कानूनी कार्यवाही के आधारहीन खतरे का मामला दायर करने के बाद किसी संस्था/व्यक्ति के खिलाफ कॉपीराइट के उल्लंघन की कार्रवाई शुरू की जाती है, तो क्या कॉपीराइट के उल्लंघन के वाद की कार्रवाई शुरू करने से आधारहीन धमकी से संबंधित वाद निष्फल हो जाएगा? दूसरे शब्दों में, जब उल्लंघन का वाद आधारहीन धमकी के बाद का वाद है, तो सवाल यह है कि क्या यह पूर्व आधारहीन धमकी के वाद को निष्फल बना देगा।*
>
> (घ) *इस विवादास्पद प्रश्न का उत्तर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम बाथला कैसेट्स इंडिया (पी) लिमिटेड (पूर्वोक्त) में दिया। सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम बाथला कैसेट्स इंडिया (पी) लिमिटेड (पूर्वोक्त) में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस विवादास्पद प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि एक बार जब धमकी देने वाले व्यक्ति द्वारा कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए वाद दायर किया जाता है, तो धारा 60 के तहत वाद निरर्थक हो जाता है क्योंकि ऐसी स्थिति में धारा 60 लागू नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह*

स्पष्ट कर दिया कि कॉपीराइट के उल्लंघन का निराधार धमकी, पहले के वाद को निरर्थक बना देगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय बनाम बाथला कैसेट्स इंडिया (पी) लिमिटेड (पूर्वोक्त) 04.02.1993 दिनांकित था।

(ङ) तत्पश्चात, दो दशक बाद, एम. ए. सी. चार्ल्स (आई) लिमिटेड बनाम एम. ए. सी. चार्ल्स (आई) लिमिटेड मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड (पूर्वोक्त) ने उपरोक्त सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय के बाथला कैसेट्स इंडिया (पी) लिमिटेड (पूर्वोक्त) ने अभिनिर्धारित किया कि एक बार कॉपीराइट के उल्लंघन का वाद धमकी देनेवाले उस व्यक्ति द्वारा दायर किया जाता है वाद दायर किया जाता है तो धारा 60 के तहत वाद निष्फल हो जाता है क्योंकि ऐसी स्थिति में धारा निष्क्रिय हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम बाथला कैसेट्स इंडिया (पी) लिमिटेड (पूर्वोक्त) के अलावा सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम बाथला कैसेट्स इंडिया (पी) लिमिटेड (पूर्वोक्त) को सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम बाथला कैसेट्स इंडिया (पी) लिमिटेड (पूर्वोक्त) में भी रिपोर्ट किया गया है। एमएसी चार्ल्स (आई) लिमिटेड बनाम इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम बाथला कैसेट्स इंडिया (पी) लिमिटेड (पूर्वोक्त) में धारा 60 के प्रावधान को स्पष्ट किया है जो स्थिति को स्पष्ट करता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने ऐसी धमकी दी

है, उसके द्वारा दावा किए गए कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए उचित तत्परता से कार्रवाई शुरू करता है और वाद चलाता है तो यह धारा लागू नहीं होगी।

(जोर दिया गया)

29.5 ***क्यू. डी. सीटामॉन*** (पूर्वोक्त) में उस पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता द्वारा एक तर्क दिया गया था, जिसने आधारहीन धमकियों से संबंधित वाद दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि ***मैक चार्ल्स*** (पूर्वोक्त) में निर्णय इस मुद्दे पर मौन था। तथापि, न्यायालय द्वारा इस पहलू पर भी विचार-विमर्श किया गया था और पैरा 6 (ब) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मैक चार्ल्स (पूर्वोक्त) में दिया गया विधि का कथन, अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई विधि की घोषणा नहीं रह सकता है। इसके अलावा, इस निर्णय में निम्नलिखित टिप्पणियां भी प्रासंगिक हैं:

""यद्यपि यह आदेश केवल अपील की अनुमति न देने वाला आदेश है, फिर भी यह आदेश में निहित कानून का एक कथन है और इसलिए, यह अनुच्छेद 141 के अर्थ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा बन जाता है। इससे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थिति यह है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की ऐसी घोषणा न केवल उसके पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है, बल्कि न्यायिक अनुशासन के माध्यम से उसके बाद की किसी भी कार्यवाही में सभी न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या प्राधिकारियों के लिए बाध्यकारी है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है।"

(जोर दिया गया)

29.6 ***मान्या वेंज्यू*** (पूर्वोक्त)-इसमें, अधिनियम की धारा 60 के तहत वाद दायर करने के अनुसार, प्रतिवादी ने प्राथमिकी दर्ज करके कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू की। न्यायालय ने धारा 60 के तहत प्रावधानों पर व्यापक वाद द्वारा विचार किया, जिसमें ***सुपर कैसेट,*** (पूर्वोक्त) और ***मैक चार्ल्स*** (पूर्वोक्त) को संदर्भित परंतुक शामिल है और जिसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है।

> *"21. धारा 60 का प्रावधान, धारा 60 के अधिनियमित भाग के आवेदन के दायरे को सीमित करता है। यह प्रावधान करता है कि यदि ऐसी धमकी देने वाला व्यक्ति सम्यक उद्यम से अपने द्वारा किये गये कॉपीराइट का उल्लंघन के लिए कार्यवाही प्रारंभ करता है और चलाता है तो उक्त धारा लागू नहीं होगी। प्रावधान में महत्वपूर्ण वाक्यांश "सम्यक तत्परता" और "उल्लंघन के लिए कार्यवाही आरंभ कर देना और उसे चलाना"। वाक्यांश "सम्यक उद्यम से " का अर्थ है कि कार्रवाई सद्भावनापूर्वक और ऐसी सावधानी, सतर्कता और दूरदर्शिता के साथ शुरू की जाती है, जैसा कि विशेष मामले की परिस्थितियों की मांग है। इसी तरह "शुरू होता है और वाद चलाता है" वाक्यांश इंगित करता है कि कार्रवाई की धमकी एक खाली बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सही गंभीरता से मामले का अभियोजन होना चाहिए। यदि ये शर्तें पूरी होती हैं, तो कार्रवाई को निराधार नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, निराधार धमकी के मामले में उपाय*

प्रदान करने वाला धारा 60 का मुख्य भाग प्रभावी नहीं रह जाता है।

...

26. कानून के उपरोक्त उच्चारण से संकेत मिलता है कि एक बार उस व्यक्ति द्वारा कॉपीराइट के कथित उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू की जाती है, जो इसके मालिक होने का दावा करता है, भले ही प्रामाणिक और उचित परिश्रम के साथ, उल्लंघन या अन्यथा कॉपीराइट के पहलू पर ऐसी कार्यवाही में निर्णय लिया जाना है और कानूनी कार्यवाही के कथित आधारहीन खतरे का उपाय काम करना बंद कर देता है। तथ्य यह है कि धारा 60 के मुख्य भाग के तहत वाद की स्थापना के बाद कॉपीराइट के लिए मामला दर्ज करनेवाले व्यक्ति द्वारा कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए ऐसी कार्रवाई शुरू की गई है, इसका कोई परिणाम नहीं है। भले ही कॉपीराइट के उल्लंघन के मामले की कार्यवाही बाद में शुरू की जाती है, आधारहीन धमकी के मामले वाला वाद निष्फल हो जाता है क्योंकि धारा 60 स्वयं लागू होना बंद कर देती है।इस प्रकार यह सामने आता है कि जहां कॉपीराइट के लिए वाद करने वाले व्यक्ति ने पहले ही कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है, वहां धारा 60 के तहत आधारहीन खतरे के लिए उपचार की मांग करने वाले वाद पर विचार नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसी कार्यवाही धारा = 60 के मुख्य भाग के तहत वाद की स्थापना के बाद भी शुरू की जाती है, तो भी परंतुक लागू हो जाता है और धारा 60 के तहत वाद निष्फल हो जाता है।

27. इसका कारण जानने के लिए बहुत दूर की बात नहीं है। धारा 60 का उद्देश्य कॉपीराइट का मालिक होने का दावा करने वाले व्यक्ति को कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए कार्यवाही शुरू करने से रोकना नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य कानूनी कार्यवाही या देयता के निराधार खतरे के मामले में उपाय प्रदान करना है। एक बार कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए ऐसी कार्यवाही शुरू हो जाने के बाद, उचित परिश्रम के साथ, उक्त कार्यवाही में पक्षों के अधिकारों और देयताओं का निर्णय लिया जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

29.7 ***चांसरी पवेलियन*** (पूर्वोक्त)-न्यायालय ने ***मैक चार्ल्स*** (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"29. इस मामले में, वादी के अनुसार, प्रतिवादियों की कथित कार्रवाई एक खोखली धमकी है। प्रतिवादियों ने दिखाया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक उचित वाद दायर करके सकारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है, जिसे 02.04.2013 को सि.वा.(मू.प.)सं.616/2013 के रूप में क्रमांकित किया गया है। दूसरे शब्दों में, चूंकि प्रतिवादियों द्वारा एक अलग वाद दायर किया गया है, इसलिए वादी द्वारा 19.01.2013 को बेंगलुरु में मू.प..सं.617/2013 में वाद दायर किए जाने के बाद, बेंगलुरु में वादी द्वारा दायर किया गया उक्त वाद बनाए रखने योग्य नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 60 के तहत कार्रवाई शुरू करने का वादी का अधिकार, प्रतिवादियों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय की फाइल पर 02.04.2013 को सि.वा.(मू.प.) संख्या 616/2013 दाखिल करने में की

गई सकारात्मक कार्रवाई के मद्देनजर, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, जिससे कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 60 का प्रावधान लागू हो जाता है।

30. धीरज धर्मदास देवानी पूर्वोक्त के मामले में ऊपर निर्दिष्ट अपीलार्थी/अभियोक्ता के अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्णय को सावधानीपूर्वक पढ़ने पर, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 60 के प्रावधान का कार्य केवल कथित उल्लंघनकर्ता द्वारा वाद दायर करने से रोकना है, जब कॉपीराइट के मालिक ने पहले अधिनियम की धारा 55 के तहत वाद दायर किया है। सामने इस मामले में, तथ्यों को अलग किया जा सकता है, क्योंकि अभियोक्ता द्वारा 19.01.2013 को दायर वाद के बाद प्रतिवादियों द्वारा 02.04.2013 को वाद दायर किया जाता है।

31. इसके विपरीत, मैसर्स मैक चार्ल्स (आई) लिमिटेड, ऊपर दिए गए मामले में <u>माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों के लिए दिए गए अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि, "जब एक बार उल्लंघन के कॉपीराइट धारक द्वारा सकारात्मक कार्रवाई की जाती है, तो धारा 60 के प्रावधान को देखते हुए धारा 60 के तहत कार्रवाई अब नहीं होगी। "इसलिए, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अपील ज्ञापन में दिए गए आधार, वादी को बेंगलुरु में मू.प. संख्या 617/2013 में जारी रखने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तथा विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए, जिसके तहत वादी</u>

<u>का वाद सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11(घ) के तहत खारिज कर दिया गया था।</u>

32. इसके अलावा, वादी का वाद इसके लिए हमेशा खुला रहता है कि वह दिल्ली में उच्च न्यायालय के समक्ष अपना बचाव दायर करे और मामले के गुण-दोष के आधार पर वाद का फैसला करे और वर्तमान अपील का दायरा मामले के गुण-दोष के संबंध में प्रतिद्वंद्वी दलीलों को संबोधित करने की अनुमति नहीं देगा।

तदनुसार, उपरोक्त चर्चा से, बिंदु संख्या 1 का उत्तर सकारात्मक दिया गया है।"

(जोर दिया गया)

30. ऊपर उल्लेखित निर्णयों और उद्धृत अंशों से यह स्पष्ट है कि कानून का मुद्दा धारा 60 और उसके प्रावधा पर तय हो चुका है। इन निर्णयों में अंतर करने के संबंध में वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क इस तथ्य से अलग नहीं हो सकते कि कानून का कथन विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्पष्ट रूप से, संक्षिप्त रूप से और निर्णायक रूप से प्रस्तुत किया गया है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन की मुहर लगाई गई है। इस न्यायालय के लिए इस तरह के निष्कर्ष को खारिज करना मुश्किल होगा, क्योंकि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसका समर्थन किया जा चुका है।।

31. इसलिए, धारा 60 के प्रावधान में यह प्रावधान है कि यदि बाद में भी वाद दायर किया जाता है, तो भी, उचित तत्परता के साथ, निराधार धमकियों को चुनौती देने वाला प्रारंभिक वाद अस्तित्व में नहीं रहेगा।

32. "सम्यक उद्यम से" की पूर्व शर्त पर विचार करना बाकी है। इनमें से कोई भी निर्णय सम्यक उद्यम के पहलू पर जानबूझकर नहीं लगता है, कि इसमें क्या शामिल है और क्या नहीं। बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय ***मन्या वैज्जू*** (पूर्वोक्त) में पैरा 21 में कुछ अभिव्यक्ति पाई जाती है, जिसे पैरा 29.6 में ऊपर निकाला गया है। विद्वान न्यायाधीश यह सुझाव देते प्रतीत होते हैं कि उचित परिश्रम का अर्थ है कि कार्रवाई सद्भावना, सावधानी और दूरदर्शिता के साथ शुरू की जाती है, जैसा कि विशेष मामले की परिस्थितियों की मांग होती है। ***मेहता यूनानी फार्मेसी*** (पूर्वोक्त) में मामले के तथ्यों से भी जो उचित परिश्रम के बराबर नहीं हो सकता है, वह मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायपीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया एक मामला है और वादी द्वारा उस पर भरोसा किया गया है। इस मामले में, चूंकि अनुवर्ती वाद व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 120 [अब व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 142 और अधिनियम की धारा 60 के समरूप] के अंतर्गत कार्यवाही के पश्चात्, ढाई वर्ष पश्चात् दायर किया गया था, इसलिए इसे समुचित तत्परता के

अभाव का साक्ष्य माना गया और, इसलिए, अनुवर्ती वाद में वादी को राहत नहीं दी गई।

33. इन मामलों में तथ्यों में कई अवधियाँ शामिल थीं जब प्रतिवादी ने धारा 60 के प्रावधान के अनुसार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक अनुवर्ती कार्यवाही/वाद दायर किया था। कुछ दिनों से लेकर हफ़्तों, एक महीने से लेकर 2 ½ साल तक का समय इन सभी निर्णयों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला स्लाइडिंग स्केल है। उचित परिश्रम का पहलू एक सारणीबद्ध है, इसलिए न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों पर अपना स्वयं का मूल्यांकन लागू करना होता है।

34. उचित परिश्रम के आकलन के लिए एक सूत्रबद्ध आधार देना सही नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक मामले के तथ्य काफी भिन्न हो सकते हैं। धारा 60 प्रावधान वाद में उचित परिश्रम की भावना प्रतिवादी द्वारा कॉपीराइट के बारे में उचित रूप से समीपस्थ और जिम्मेदार दावे पर आधारित है जिसका वह दावा करता है, और उल्लंघन, जिसका वह धारा 60 वाद के वादी के रूप में निवारण करना चाहता है।

35. सार यह है कि यदि धारा 60 प्रावधान के तहत में प्रतिवादी आगे बढ़ता है और 'अपनी बात पर अड़ा रहता है', तो "निराधार धमकी" का तत्व समाप्त हो

जाता है। धारा 60 केवल कानूनी कार्यवाही की "निराधार धमकी" के मामले में एक उपाय पर आधारित है। स्पष्ट रूप से यह धारा 60 के तहत वाद में किसी भी वादी के लिए कार्रवाई के कारण का आधार बनता है; यह एक विशेष स्व जनित उपाय है जो अधिनियम के अध्याय XII के तहत "सिविल उपचार" शीर्षक से किसी पक्ष को प्रदान किया जाता है।

36. कैम्ब्रिज डिक्शनरी में "ग्राउंडलेस" का अर्थ है " आधारहीनता के साथ साथ निराधार, अनुचित आदि। इसअन्य बातों के साथ साथ एक ऐसी कार्रवाई शामिल है जिसका कोई तर्क या कारण नहीं है। इसलिए, जिस क्षण प्रतिवादी द्वारा वादी के खिलाफ धारा 60 के परंतुक के संदर्भ में एक कार्यवाही शुरू की जाती है, जिसमें तर्क, कारण, आधार और उद्देश्य बताया जाता है कि उसने कथित धमकी क्यों जारी की थी, स्वाभाविक वाद से और तार्किक वाद से, धारा 60 के तहत वादी के वाद के लिए कार्रवाई का आधार/कारण समाप्त हो जाता है। धमकी अब "आधारहीन" नहीं है।

37. इसलिए प्रतिवादी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही सार्थक, सुव्यवस्थित और अनुचित रूप से विलंबित नहीं होनी चाहिए। अनुचित देरी से यह पता चलता है कि प्रतिवादी को वास्तव में कोई अधिकार नहीं है और वह वास्तव में बिना किसी आधार के धमकी दे रहा था।

38. यह इस संदर्भ में था कि ***मेहता यूनानी फार्मेसी*** (पूर्वोक्त) में ढाई साल की देरी को अत्यधिक माना गया था। वर्तमान मामले में, धारा 60 का वाद दायर करने और प्रतिवादी द्वारा वाद दायर करने के बीच की अवधि लगभग 6 महीने है।

39. प्रतिवादी ने 11 जनवरी 2018 को अपना लिखित बयान दाखिल किया था और उसके बाद 16 अप्रैल 2018 को वाद दायर किया था। प्रतिवादी द्वारा दिया गया कारण यह है कि उन्होंने भारी मात्रा में दस्तावेज दाखिल किए थे, जिन्हें वे एकत्रित कर रहे थे क्योंकि इसमें विभिन्न कार्य शामिल थे जो उन्हें शेमारू और अन्य कंपनियों से मिले थे, जो उन कार्यों से संबंधित थे जिनमें कॉपीराइट का दावा विवादित है।

40. यह एक तथ्यात्मक मुद्दा है और इसे गहराई से समझने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया वाद उनकी ओर से अधिकारों के लिए एक ठोस वाद है और अब सबूतों को दर्ज करने के लिए भी आगे बढ़ा है। इस वाद के, इन परिस्थितियों में 6 महीने के अंतराल को अनुचित नहीं माना जाएगा क्योंकि लिखित बयान केवल जनवरी 2018 में दायर किया गया था, वर्तमान वाद में वादी द्वारा प्रतिकृति 09 अप्रैल 2018 को दायर की गई थी। समय बीतने के बावजूद वर्तमान वाद में मुद्दे अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं।

41. इस मामले के तथ्यों के लिए जो बात प्रासंगिक और अनोखी है, वह यह है कि इन कार्यवाहियों से पहले एक पारस्परिक और विपरीत स्थिति उत्पन्न हुई थी। ज़ी एंटरटेनमेंट द्वारा सारेगामा के खिलाफ़ उनके कॉपीराइट से संबंधित बेबुनियाद धमकी के आधार पर ***सि.वा. (वाणि.) 3/2017*** दायर किया गया था। इसके बाद, सारेगामा ने ***सि.वा. (वाणि.) 57/2017*** के रूप में एक वाद दायर किया और फिर दावा किया कि अधिनियम की धारा 60 के प्रावधान के अनुसार *ज़ी* का वाद निष्फल हो गया है। 24 जनवरी 2017 को इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा सारेगामा के पक्ष में एक आदेश पारित किया गया था जिसमें सि.वा. (वाणि.) 3/2017 को निष्फल घोषित किया गया था।

42. इसलिए, इस मामले में ज़ी को वाद नहीं करना पड़ा और पक्षकारों को सारेगामा द्वारा दायर वाद में वापस भेज दिया गया। उक्त निर्णय को ***नि.प्र.अ.(मू.वा.)(वाणि.) 4/2017*** में अपील में लिया गया। इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने 22 मार्च 2017 के आदेश [2017:डीएचसी:1687-डीबी] के माध्यम से एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की और निम्नलिखित नोट किया:

> *"7. <u>कॉपीराइट अधिनियम की धारा 60 के पीछे न्यायिक दर्शन स्पष्ट है। यदि कोई व्यक्ति किसी कॉपीराइट योग्य कार्य के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए किसी पक्ष को कानूनी नोटिस जारी करता है, तो जिस पक्ष को नोटिस</u>*

दिया जाता है, उसे नोटिस का जवाब देने के लिए किसी अधिवक्ता की सेवाओं को संलग्न करना होगा, क्योंकि नोटिस में दावे का गैर-पारगमन नोटिस प्राप्तकर्ता के खिलाफ माना जाएगा। इस तरह से किसी पक्ष को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा सकता है। इसलिए, यदि नोटिस जारी करने वाला पक्ष धमकी देना जारी रखता है और परिणामस्वरूप नोटिस प्राप्तकर्ता के सिर पर खतरे की तलवार लटकती रहती है, तो नोटिस प्राप्तकर्ता घोषणा की मांग कर सकता है। लेकिन जहां उल्लंघन का आरोप लगाने वाला व्यक्ति उल्लंघन के लिए कार्रवाई के लिए उचित परिश्रम के साथ अभियोजन शुरू करता है, वहां धारा 60 का प्रावधान लागू होगा। अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क कि प्रावधान में घोषणा के लिए दायर किए गए वाद से पहले उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू करने की परिकल्पना की गई है, इसे ध्यान में रखा गया है और तत्काल मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया गया है। अपीलकर्ता को प्रतिवादी द्वारा दिए गए कानूनी नोटिस का जवाब देने के बजाय, दो दिनों के भीतर अपीलकर्ता ने घोषणा के लिए वाद दायर किया। यह ऐसा मामला नहीं है जहां कथित उल्लंघनकर्ता का मानना था कि उसे कानूनी कार्रवाई की निराधार धमकियाँ दी गई हैं और वह कॉपीराइट किए गए कार्य के कथित मालिक की दया पर महीनों तक इंतजार कर रहा था।

(जोर दिया गया)

43. इसलिए, विडंबना यह है कि सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के तहत वर्तमान आवेदन, जो पहले ही घटित हो चुका है, उसकी दर्पण छवि प्रतीत होता

है, हालांकि, ज़ी द्वारा धारा 60 के वाद को खारिज करने से पहले, आदेश VII नियम 11 आवेदन नहीं किया गया था।

44. धारा 60 के प्रावधान के तहत आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन करना आवश्यक नहीं लगता है, क्योंकि जैसा कि ऊपर बताया गया है, कानून के अनुसार वाद स्वतः ही निष्फल हो जाता है। हालाँकि, चूँकि इन कार्यवाहियों में ज़ी की ओर से यह दावा किया गया था कि वे सि.प्र.सं. के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन दायर करेंगे, इसलिए मामले पर विचार किया गया है।।

45. इसके अलावा, सि.प्र.सं. के एक आवेदन आदेश VII नियम 11 के लिए एक न्यायालय से वाद में कथनों को देखने और उस आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है कि क्या यह किसी भी उप-धारा के तहत वर्जित है।यह उस स्थिति के विपरीत है जो अधिनियम की धारा 60 में उत्पन्न होती है, जो बाद में वाद दायर करके पिछले वाद को निष्फल घोषित करती है। इसलिए, आदेश VII का सख्त अनुप्रयोग सि.प्र.सं. का नियम 11 धारा 60 के प्रावधान के साथ प्रतिध्वनित नहीं हो सकता है। पूर्ववर्ती पीठ द्वारा दिनांक 10 नवंबर 2023 को आदेश में भी यह नोट किया गया है।

46. वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा की गई आपत्तियों में से एक यह थी कि आदेश VII नियम 11 आवेदन को आगे बढ़ाने में भारी देरी हुई है, जिसमें

वाद 2018 में दायर किया गया था और 2023 में पेश किए जाने तक इस तरह के आवेदन का कोई उल्लेख नहीं था। हालाँकि, आदेश पत्रकों के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलता है कि जिस क्षण प्रतिवादी ने 2018 में उल्लंघन के लिए वाद दायर किया था, उस समय उनके अधिवक्ता पोषणीयता का मुद्दा उठा रहे थे, जिस पर वे अगली कुछ कार्यवाही के दौरान भी बने रहे। यह 07 अगस्त 2018,31 जनवरी 2019,1 नवंबर 2019,19 मई 2022 और 17 अगस्त 2023 के आदेशों से स्पष्ट है। लगातार इस मामले को उठाने के बाद, अंततः यह पता चला कि आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन पेश किया जाना था। इसलिए, वादी का यह तर्क तथ्यों के आधार पर टिकने योग्य नहीं है क्योंकि वर्तमान वाद की स्थिरता का मुद्दा प्रतिवादी द्वारा अगस्त 2018 में ही उठाया गया था। इस मुद्दे पर विचार करने में न्यायालय द्वारा की गई देरी वादी के हित में नहीं हो सकती।

47. दूसरी ओर, वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता का दावा है कि यह वाद एक संयुक्त वाद है और इसलिए धारा 60 के प्रावधानों के दायरे से बाहर है। हालाँकि, यह न्यायालय नोट करता है कि वादपत्र में ही कहा गया है कि यह अधिनियम की धारा 60 के तहत घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का वाद है जो प्रतिवादी को कानूनी कार्यवाही की निराधार धमकी जारी करने से रोकता है। यह वह आधार है

जिसके आधार पर वादी ने वर्तमान वाद दायर किया था। वादी के लिए अपनी खुद की शिकायत तैयार करने से, स्थिति से बाहर निकलना असंभव है।

48. वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने वर्तमान वाद में मांगी गई प्रार्थनाओं पर जोर दिया कि उन्होंने घोषणा, निषेधाज्ञा और हर्जाने की मांग की, न कि केवल निषेधाज्ञा की। हालाँकि, धारा 60 में यह प्रावधान है कि निराधार धमकियों से व्यथित व्यक्ति घोषणात्मक वाद दायर कर सकता है, साथ ही निषेधाज्ञा की मांग कर सकता है और हर्जाना [ऐसी धमकियों के कारण प्राप्त] की वसूली कर सकता है। इसलिए, वादी का वाद, प्रत्यक्षतः, धारा 60 के दायरे में आता है, और वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क सतत नहीं है।

49. इसके अलावा, प्रार्थना (i) के प्रारूपण के तरीके पर करीब से नज़र डालने से पता चलता है कि इसमें धारा 60 की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें घोषणा का आदेश मांगा गया है कि "*...ध्वनि रिकॉर्डिंग और अंतर्निहित संगीत और साहित्यिक कार्यों का उपयोग...प्रतिवादी के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं है*"। इस प्रार्थना में धारा 60 की उसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो ऊपर उल्लेखित है, "*...एक घोषणात्मक वाद शुरू करें जो कथित उल्लंघन जिससे धमकियाँ संबंधित थीं, वास्तव में ऐसी धमकियाँ देने वाले व्यक्ति के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं था...*"।

50. जहाँ तक वादी के इस निवेदन का संबंध है कि उन्हें प्रतिवादी द्वारा वाद में प्रति-दावेदार होने के वाद निर्वासित किया जाएगा, याचिका को कानून के अनुसार स्वीकार नहीं किया जा सकता है जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है। वादी को लागू कानून के अनुसार ***सि.वा. (वाणि.) 811/2018*** में जवाबी दावा दायर करने और साक्ष्य देने की पूरी स्वतंत्रता होगी।

51. ज़ी पर अपने अधिकारों को साबित करने का भार है, जो कथित उल्लंघन का आधार बनता है, जिसे ज़ी को ही पूरा करना होगा। केवल तभी जब यह साबित हो जाए कि ज़ी के पास वास्तव में अधिकार था और सारेगामा द्वारा उल्लंघन की वैध शिकायत थी, तब क्षतिपूर्ति का अधिकार अस्तित्व में नहीं रह सकता। इसके विपरीत, यदि यह माना जाता है कि ज़ी के पास वह अधिकार नहीं है जिसका वह दावा करता है, तो सारेगामा द्वारा क्षतिपूर्ति का दावा शुरू हो जाएगा और उस पर निर्णय लिया जाना होगा। मान्या वेज्जू (सुप्रा) में पिछले निर्णय में पैरा 27 में प्रति दावे के पहलू पर भी विचार किया गया था जिसमें यह निम्नानुसार कहा गया है:

> *"27. कारण खोजना कोई दूर की बात नहीं है। धारा 60 का उद्देश्य कॉपीराइट के मालिक होने का दावा करने वाले व्यक्ति को कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए कार्यवाही शुरू करने से रोकना नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य कानूनी कार्यवाही या दायित्व के आधारहीन खतरे के मामले में*

उपचार प्रदान करना है। <u>एक बार जब कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए ऐसी कार्यवाही शुरू की जाती है, तो उचित परिश्रम के साथ, पक्षों के अधिकारों और देनदारियों को उक्त कार्यवाही में तय किया जाना चाहिए।</u>

(जोर दिया गया)

52. ***क्यू. डी. सीटामॉन*** (*पूर्वोक्त*) में न्यायालय ने कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए दायर किए गए बाद के वाद में जवाबी वाद दायर करने पर भी विचार किया। उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार निकाला गया हैः

"(ख) अपने अंतिम प्रस्तुतिकरण के एक भाग के रूप में, वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध कृष्णन ने प्रस्तुत किया कि यदि यह न्यायालय सब साइलेंटियो के संबंध में उनकी प्रस्तुतिकरणों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो वादी के लिए कनिष्ठ वाद में प्रतिदावे के माध्यम से क्षतिपूर्ति की मांग करना खुला छोड़ा जा सकता है। <u>यदि कानून कनिष्ठ वाद में इस तरह का प्रतिवाद करने की अनुमति देता है, तो यह आदेश उसके आड़े नहीं आएगा और बाधा नहीं बनेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रतिवाद करने की अनुमति देना इस न्यायालय का काम नहीं है। केवल यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कानून कनिष्ठ वाद में प्रतिवाद करने की अनुमति देता है, तो यह आदेश उसमें बाधा नहीं डालेगा और इसलिए, इन टिप्पणियों को प्रतिवाद करने की अनुमति के के तौर पर नहीं समझा जाएगा।"</u>

(जोर दिया गया)

53. दूसरा पहलू जिस पर अभी भी विचार किया जाना बाकी है, वह है ज़ी के सारेगामा के पक्ष में जारी निषेधाज्ञा जो सारेगामा के खिलाफ कोई और धमकी जारी न करने के लिए है। यह देखते हुए कि इस न्यायालय के 17 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा वाद को पहले ही समेकित कर दिया गया है, यह न्यायालय निर्देश देता है कि प्रतिवादी के वचन पर आधारित निषेधाज्ञा ज़ी वाद ***(सि.वा. (वाणि.) 811/2018)*** के लंबित रहने के दौरान बनी रहेगी और इसे उस मुकदमे में पारित निर्देश के रूप में माना जाएगा। पक्षों के बीच चल रहे तीखे विवाद को देखते हुए न्याय के हित में भी यह आवश्यक है और सारेगामा द्वारा ***सि.वा. (वाणि.) 57/2017*** [इस न्यायालय के समक्ष निर्णय लंबित] के रूप में जवाबी वाद भी दायर किया गया है।

<u>निष्कर्ष</u>

54. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, प्रतिवादी का वाद ***सि.वा. (वाणि.) 811/2018*** कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए दायर किया गया है जो धारा 60 के प्रावधान के दायरे में आता है। इसलिए, वादी द्वारा शुरू किया गया वर्तमान वाद अब अस्तित्व में नहीं रहेगा और निष्फल हो गया है।

55. वादी को लागू कानून के अनुसार ***सि.वा. (वाणि.) 811/2018*** में जवाबी दावा दायर करने और साक्ष्य देने की स्वतंत्रता है।

56. ***सि.वा. (वाणि.) 811/2018*** विचाराधीन रहने के दौरान, जिसे इस वाद के साथ समेकित किया गया था, यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी [***सि.वा. (वाणि.) 811/2018***] वादी [सारेगामा इंडिया लिमिटेड] या किसी तीसरे पक्ष को वाद में वाद किए गए अधिकारों के संबंध में कोई पत्र/नोटिस जारी नहीं करेगा।

57. यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें देखी गई कोई भी बात उक्त कार्यों पर कॉपीराइट के दावे के संबंध में पक्षों के अधिकारों और दलीलों पर टिप्पणी नहीं है, जो अंततः लागू कानून संदर्भित वाद के बाद तय की जा सकती है।

<u>सि.वा. (वाणि.) 764/2017 और अंतर.आ. 12856/2017</u>

1. जैसा कि ऊपर पैरा 44 में उल्लेख किया गया है, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 60 के आवेदन पर प्रतिवादी द्वारा बाद में वाद दायर किए जाने के कारण वादी के इस वाद को निष्फल घोषित करने के लिए सि.प्र.सं. आवेदन के आदेश VII नियम 11 की आवश्यकता नहीं है।

2. तदनुसार, उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, वाद और आवेदन निष्फल हो जाते हैं।

3. निर्णय इस न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

(अनीश दयाल)
न्यायाधीश

29 मई, 2024/आरके/एससी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*